संख्या— 208 /38–7–2008

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः29 जनवरी, 2008

विषयः–<u>राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के संबंध में।</u>

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के शैड्यूल–1 में प्राविधानित है। अधिनियम में यह प्राविधान है कि सर्वप्रथम ऐसे कार्य लिये जायें जिससे भूमि की उर्वरकता बढ़ें तथा पानी की उपलब्धता में वृद्धि हो। पर्यावरण संरक्षण भी इस योजना की प्रमुख प्राथमिकता है। बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्याचल क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव को देखते हुए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सख्ती के साथ किया जाये और सबसे पहले ऐसे कार्यों को ही लिया जाये जिससे जल तथा भूमि का संरक्षण हो, सिंचाई की सुविधा बढ़े तथा पर्यावरण में सुधार हो।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि इन कार्यों का दीर्घकालिक लाभ इन क्षेत्रों को मिल सके। यह ध्यान रखा जाये कि केवल रोजगार सृजित करने के लिए अनावश्यक कार्यों को न लिया जाये जिससे स्थानीय समाज को कोई लाभ न हो।

जल संरक्षण तथा भूमि सुधार की परियोजनाओं को परिकल्पित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाये कि इनका water shed basis पर नियोजन हो। यह उचित होगा कि जनपद के सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई तथा उप निदेशक, भूमि संरक्षण से इन परियोजनाओं का परीक्षण करवा लिया जाये ताकि यह योजनायें उन उद्देश्यों को पूर्ण कर सकें जिनके लिए इन्हें गठित किया गया है तथा जल संसाधन का sustainable प्रयोग सुनिश्चित हो।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या–208 (1)/38–7–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
अनुसचिव।